उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

लिखित याचिका (एम/एस) सं। 2020 का 2210

बीएफआईटी तकनीकी परिसर

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य

प्रतिवादी

उपस्थित:श्री आदित्य सिंह, याचिकाकर्ता के वकील।श्री नारायण दत्त, राज्य के संक्षिप्त धारक।श्री भुपेश कांडपाल, प्रतिवादी नं. 3.श्री योगेश कुमार, प्रतिवादी नं. के लिए अधिवक्ता। 4.

निर्णय

रवींद्र मैथानी, जे. (मौखिक)

याचिकाकर्ता एक संस्थान है, जो विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।यह कैंटन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी नामक समाज से आता है।(इसके बाद याचिकाकर्ता कॉलेज के रूप में संदर्भित) कॉलेज उत्तराखंड राज्य द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करने की मांग करता है, जिसके द्वारा, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ('विश्वविद्यालय') के साथ याचिकाकर्ता कॉलेज की संबद्धता के लिए कोई आपत्ति प्रमाण पत्र से इनकार नहीं किया गया था।याचिकाकर्ता कॉलेज भी निर्देश चाहता है ताकि उसे विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता दी जा सके।

2. यह याचिकाकर्ता कॉलेज का मामला है कि उसने पाठ्यक्रमों को डिप्लोमा से इंजीनियरिंग में अपग्रेड करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षेप में 'एआईसीटीई') से मंजूरी मांगी।सभी कारकों पर विचार करने पश्चात ए. आई. सी. टी. ई. ने मंजूरी दे दी।वास्तव में, यह विद्या सम्बन्धी वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदन का विस्तार है।याचिकाकर्ता कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध होना आवश्यक था।आवेदन किए जाने पर, प्रतिवादी नं।1 उत्तराखंड राज्य ने 20.01.2020 पर विश्वविद्यालय से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपेक्षा की।विश्वविद्यालय ने बदले में, 07.02.2020 पर प्रतिवादी संख्या को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1 अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन. ओ. सी.) देने खंड सिफारिश करते हुए, लेकिन दिनांक 1 के विवादित आदेश द्वारा, उत्तराखंड राज्य ने इस आधार पर एन. ओ. सी. देने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता कॉलेज के विरुद्ध भा.दं.सं. सी. खंड धारा 420,409,467,468 और 471 के से एक एफ. आई. आर. प्राथमिकी खंड गई है, जो छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित है।यह आदेश विवादित है।

3. राज्य ने अपना जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया है।जवाबी शपथ पत्र के पैराग्राफ 6 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार को एन. ओ. सी. देने या अस्वीकार करने का अधिकार है और राज्य सरकार ने एन. ओ. सी. को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया है।

4. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।

5. याचिकाकर्ता कॉलेज के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के मामले में राज्य की कोई भूमिका नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार ए. आई. सी. टी. ई. ने पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी है, तो विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता को अस्वीकार करने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है।अखिल भारतीय तकनीखंड शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (संक्षेप में 'अधिनियम') खंड धारा 10 का संदर्भ दिया गया है।

6. तर्क के दौरान, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि, वास्तव में, ए. आई. सी. टी. ई. ने <आई. डी. 1> पर विद्या सम्बन्धी वर्ष <आई. डी. 2> के लिए मंजूरी को अग्रेतर बढ़ा दिया है।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता के लिए एन. ओ. सी. को अस्वीकार करने के आदेश का कानून की नजर में कोई बल नहीं है।इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

7. उनके तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता कॉलेज के विद्वान अधिवक्ता ने भी कानून के सिद्धांतों पर अवलम्ब रखी है, जैसा कि जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम आयुक्त और सरकार के सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम, केरल राज्य और एक अन्य, (2000) 5 एससीसी के मामले में निर्धारित किया गया है।

232. वास्तव में, जय गोकुल (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 8 में विचार के लिए दो प्रश्न उठाए, जो कि नीचे दिया गया है;

"8. निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिएः(1) क्या तमिलनाडु राज्य और एक अन्य बनाम अधियमन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान और अन्य, [1995] 4 एस. सी. सी. 104 में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 के प्रावधानों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और सरकार या अन्य प्राधिकरण से अग्रेतर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं था?क्या केरल राज्य में किसी भी अधिनियम को यदि इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो वह अमान्य होगा?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा पारित अस्वीकृति के आदेश गुण-दोष के आधार पर मान्य थे और क्या विश्वविद्यालय को केवल ए. आई. सी. टी. ई. की अनुमति के आधार पर संबद्धता जारी रखने के लिए अग्रेतर के आदेश देने चाहिए थे?

8. ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा बनाए गए अधिनियम और विनियमन दिनांक 1 के प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है और अगर ऐसा होता भी तो यह अधिनियम के प्रतिकूल होता। निर्णय के पैराग्राफ 23 में, माननीय न्यायालय ने निष्कर्ष दिए हैं, जो नीचे दिए गए हैं।23. इस प्रकार हम मानते हैं कि वर्तमान मामले में राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी और अगर ऐसा होता भी तो यह ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के प्रतिकूल होता। विश्वविद्यालय संविधि 9 (7) में मात्र यह अपेक्षा की गई थी कि संबद्धता प्रदान करने से पहले राज्य सरकार के "विचार" प्राप्त किए जाएं और यह "अनुमोदन" प्राप्त करने के बराबर नहीं था।

यदि विश्वविद्यालय के अधिनियम को "अनुमोदन" की आवश्यकता होती, तो यह ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम के प्रतिकूल होता। बिन्दु 1 तदनुसार तय किया जाता है।

9. दूसरी ओर, विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता कॉलेज के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया विद्वान था, इसलिए, सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के पश्चात एनओसी को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया विद्वान है।

10. प्रतिवादी नं. के लिए विद्वान वकील। 3, विश्वविद्यालय प्रस्तुत करेगा कि, वास्तव में, मामलों में अंतिम प्राधिकरण ए. आई. सी. टी. ई. है और किसी भी अंतर के मामले में, यह ए. आई. सी. टी. ई. है, जिसे अंतिम निर्णय लेना है।

11. इस न्यायालय ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से दो प्रश्न पूछे हैं, जिन्हें दिनांक 30.09.2021 के आदेश में शामिल किया गया है।

यह नीचे दिया गया है; "(i) क्या उत्तराखंड राज्य ने ऐसे अन्य कॉलेजों/संस्थानों को एन. ओ. सी./संबद्धता से इनकार किया है, जो छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल थे?और/या, क्या उत्तराखंड राज्य ने ऐसे कॉलेजों की एन. ओ. सी./संबद्धता को रद्द कर दिया है, जो छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल थे?

12. आज, जब न्यायालय ने विद्वान राज्य वकील से अनुरोध किया कि वे यह बताए कि उन दो पूछे विद्वान प्रश्नों पर सरकार का क्या रुख है, तो विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत करेंगे कि (i) राज्य सरकार उन संस्थानों की सूची नहीं रखती है जिन्हें एन. ओ. सी. दिया गया था और (ii) राज्य सरकार को भी नहीं पता कि किस कॉलेज के विरुद्ध, छात्रवृत्ति घोटाले में एफ. आई. आर. प्राथमिकी की गई है।

13. प्रश्नों का उत्तर देते समय, विद्वान राज्य वकील ने भी विवादित आदेश, विशेष रूप से पैराग्राफ 3 को पढ़ना शुरू कर दिया, जो संयोग से दर्ज करता है कि याचिकाकर्ता कॉलेज का नाम छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल कॉलेजों की सूची में उल्लिखित है।इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार के पास छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल कॉलेजों की सूची है।न्यायालय द्वारा पूछे विद्वान प्रश्नों का उत्तर विद्वान राज्य वकील द्वारा नहीं दिया गया है।न्यायालय इसे अपने ऊपर छोड़ देता है।

14. विद्वान राज्य वकील ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय विनियम, 2018 को संदर्भित किया कि विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता से पहले राज्य से एन. ओ. सी. की आवश्यकता है।

15. तकनीकी पाठ्यक्रमों को चलाने की मंजूरी अधिनियम के से ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा दी जाती है। अधिनियम की खंड 10 (के) अनुमोदन के संबंध में प्रावधान करती है, जो इसके से है;

"10. परिषद के कार्य।परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास और मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए और इस अधिनियम के से अपने कार्यों को करने के उद्देश्यों के लिए ऐसे सभी कदम उठाए जो वह सोचे।

मई

(ट) नए तकनीकी संस्थान शुरू करने और संबंधित एजेंसियों के परामर्श से नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।16. उपरोक्त की उप-धारा (के) से पता चलता है कि संबंधित एजेंसियों के परामर्श से ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदन दिया जा सकता है।

17. वास्तव में, जया गोकुल (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा आई. डी. 1 पर बनाए गए विनियमों के प्रावधान की व्याख्या की और पैराग्राफ 13 और 14 में उन विनियमों पर व्यापक रूप से चर्चा की।आज, नियम, जो लागू किए जाते हैं, वे नियम हैं जो 04.02.2020 पर अधिसूचित किए जाते हैं, इसे पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है।इसके अलावा, अनुमोदन अनुदान आदि को नियंत्रित करने वाले प्रावधान। अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका, 2020-21 में शामिल किया गया है।2020 के विनियमों में क्रम संख्या 4.9 A और D पर यह दर्ज किया गया है कि अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी।

18. ए. आई. सी. टी. ई. के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि राज्य सरकार के विचार खंड <आई. डी. 1> को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किए जाते हैं।अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका का 7,2020 21.यह इस प्रकार है;

"1.4।7 राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश और संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड के विचार

ए। राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश और संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड उनके द्वारा प्राप्त आवेदन पर अपने विचार सार्वजनिक सूचना/ए. आई. सी. टी. ई. वेब पोर्टल के अनुसार आवेदन प्रस्तुतीकरण के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से एक सप्ताह से अधिक समय बाद ए. आई. सी. टी. ई. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेंगे।

बी।

नए तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश और संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड के विचारों (यदि कोई हो) के आधार पर, क्षेत्रीय समिति आवेदन की प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेगी या उसे अस्वीकार करेगी।यदि आवेदन को अग्रेतर संसाधित नहीं किया जाता है, तो 0.5 लाख (केवल पचास हजार रुपये) की कटौती के पश्चात TER शुल्क आवेदक को वापस कर दिया जाएगा।

ग. निर्धारित समय के भीतर आवेदन पर राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड से विचारों की प्राप्ति की अनुपस्थिति में में, परिषद अग्रेतर की प्रक्रिया के लिए अग्रेतर बढ़ेगी।

19. विचार के लिए दो प्रश्न हैं।

वे इस बारे में हैं कि क्या ए. आई. सी. टी. ई. ने विद्या सम्बन्धी वर्ष <आई. डी. 1> और विद्या सम्बन्धी वर्ष <आई. डी. 2> के लिए अनुमोदन के विस्तार से पहले राज्य सरकार के विचार प्राप्त किए थे और (ii) क्या राज्य सरकार ने ए. आई. सी. टी. ई. को अपने विचार से अवगत कराया था।

20. विद्वान राज्य वकील के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्या विचार ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा प्राप्त किए गए थे; याचिकाकर्ता कॉलेज के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वे इस तरह के संचार के लिए गोपनीय नहीं हो सकते थे, इसलिए वह इसके बारे में बताने की स्थिति में नहीं हैं।ए. आई. सी. टी. ई. के विद्वान वकील ने भी इस विषय पर अपनी अज्ञानता व्यक्त की।

21. यह न्यायालय जया गोकुल (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय को उद्धृत करना चाहेगा, जिसमें अनुच्छेद 22 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने T.N में बताए अनुसार टिप्पणी की है। केंद्रीय अधिनियम में राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ ए. आई. सी. टी. ई. परिषद द्वारा परामर्श के लिए पर्याप्त प्रावधान थे।इसका मतलब है कि अधिनियम की खंड 10 (के) के से उल्लिखित एजेंसियों में राज्य सरकार भी शामिल है।अनुमोदन के लिए आवेदन पर विचार करने से पहले ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा राज्य सरकार के विचार प्राप्त करने होते हैं।जया गोकुल के मामले (उपरोक्त) को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय अधिनियम होने के कारण इस अधिनियम को राज्य अधिनियम की किसी भी आवश्यकता पर प्राथमिकता दी गई है। इस मुद्दे पर ए. आई. सी. टी. ई. का निर्णय अंतिम होगा।

चूंकि, न्यायालय के समक्ष इस बारे में कोई सामग्री नहीं है कि राज्य के दृष्टिकोण से ए. आई. सी. टी. ई. को अवगत कराया गया है या नहीं, इस न्यायालय का विचार है कि विवादित आदेश पर ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के रूप में विचार किया जा सकता है और उसके बाद, ए. आई. सी. टी. ई. पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन के संबंध में निर्णय ले सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा लागू किया गया है।

22. ए. आई. सी. टी. ई. के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि ऐसा निर्णय पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर विद्वान जाएगा।

23. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कानून के सिद्धांतों को देखते हुए, जैसा कि जया गोकुल (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित किया गया है, एक बार ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी के बाद, विश्वविद्यालय को संबद्धता के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार से एन. ओ. सी. की आवश्यकता नहीं होगी।

24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है;

प्रतिवादी संख्या 24 ए. आई. सी. टी. ई. अपने अध्यक्ष के माध्यम द्वारा उत्तराखंड राज्य के विचारों को ध्यान में रखते हुए, निश्चित रूप द्वारा अनुमोदन के लिए याचिकाकर्ता कॉलेज के आवेदन पर एक नया आदेश लेगा, जैसा कि दिनांकित <आई. डी. 1> (रिट याचिका के अनुलग्नक-3) में निहित है।

निर्णय 15 दिनों के भीतर लिया जाएगा।

(ii) यदि ए. आई. सी. टी. ई. राज्य सरकार के विचारों सहित सभी प्रासंगिक सामग्री की जांच करने के पश्चात फिर से अनुमोदन प्रदान करता है और इसके पश्चात याचिकाकर्ता कॉलेज फिर से संबद्धता के लिए विश्वविद्यालय से संपर्क करता है, तो विश्वविद्यालय इस निर्णय के पैराग्राफ 23 में किए गए अवलोकन को ध्यान में रखते हुए आवेदन पर विचार करेगा।

(रवींद्र मैथानी, जे.) 01.10.2021

उज्जवल